

कार्रवाई

आदेश की
क्रम सं० और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी
के साथ

1

2

3

02.03.20

अभिलेख उपस्थापित।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 12/5/16 से आवेदक लगातार अनुपरिथत है जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। फलस्वरूप वाद की कार्रवाई संचालित करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक की अभिरुचि के अभाव में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित ।

Law

अनुमंडल पदाधिकारी
दुमका

Law

अनुमंडल पदाधिकारी
दुमका।